राष्ट्रीय महिला कोष

अनुसूची –7

वर्ष 2011–2012 में लेखांकन संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां तथा लेखों से संबद्ध टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. अचल परिसंपत्तियाँ

अचल परिसंपत्तियाँ उनकी मूल लागत के आधार पर अंकित की गई है तथा आय कर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दर और प्रक्रिया से उनके अंकित मूल्य पर मूल्यह्रास का आकलन किया है।

2. आय और व्यय का आकलन

राष्ट्रीय महिला कोष लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली अपनाता है और इसमें आय तथा व्यय का आकलन उपार्जित आधार पर किया जाता है। 2009–10 से वह ब्याज शामिल नहीं करते जो खाते सूट फाइल्ड है, अथवा दण्ड–विषयक ब्याज। इस ब्याज का निर्णय राष्ट्रीय महिला कोष से वास्तविक प्राप्ति द्वारा बाद ही लिया जाता है।

II लेखा पर टिप्पणियां

1. गत वर्ष मृत्यु राहत और पुनर्वास निधि योजना, संवर्धन एवं विकास निधि, सूचना शिक्षा एवं संचार निधि, विकास रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में प्रावधान होने के कारण इस वर्ष कोई प्रावधान नहीं दिया गया।

2. वर्ष 2011–2012 के अधिशेष में से जोखिम निधि में ₹ 405 लाख का और प्रावधान करने की आवश्यकता है, ताकि वर्ष के अंत में ₹ 2323.61लाख के चूक ऋण का पर्याप्त प्रावधान हो सके।

3.

(A) 31/3/2012 को विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत बकाया शेष सामान्य बही और ऋण खाते से मिला लिए गए हैं और गैर सरकारी संगठनों से उनकी पुष्टि होनी है।

(B) शासी बोर्ड की राय में चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं अग्रिम (पूंजीगत अग्रिम सहित) का व्यवसाय के सामान्य तरीके से वसूली पर कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य होता है, जो तुलन–पत्र में उल्लेखित है। सभी ज्ञात देनदारियों के लिए लेखे में प्रावधान किया है।

(C) कोष द्वारा गैर सरकारी संगठन/बाहरी पार्टियों पर किए गए दावों का वसूली के आधार पर लेखा जोखा किया गया है।

4. विभिन्न पार्टियों को दिए हुए अग्रिम उनसे उचित बिल की प्राप्ति के पश्चात ही परिशोधित है। निम्नलिखित अग्रिम धन विविध पार्टियों से 31/3/2012 को बिल/रसीद/वापसी न होने से/पुष्टि न होने से, असमायोजित पड़े हुए हैं।

क्र.संख्या	विवरण	राशि ₹ में 31–3–2012
1	नोडल एजेंसियाँ	585545.00
2	कार्यशाला को दिया गया अग्रिम	679863.00

3	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दिया गया अग्रिम	400000.00
4	अन्य अग्रिम	737940.00
5	कर्मचारियों का अग्रिम	463155.00
	योग	2866503.00

31.3.2012 तक 5 वर्षो से अधिक बकाया राशि विवरणः

क्र.संख्या	विवरण	राशि ₹ में 31–3–2012
1	नोडल एजेंसियाँ	585545.00
2	कार्यशाला के लिए दिया गया अग्रिम	507863.00
3	अन्य अग्रिम	120388.00
	योग	1213796.00

5. उचंत खाते में ₹ 24,84,566/– गैर सरकारी संगठनों से अपूर्ण विवरण के कारण लंबित है।

6. खराब और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान :– चूँकि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यात्मक मानदंड राष्ट्रीय महिला कोष पर लागू नहीं होते हैं। अतः रा.म.कोष गत वर्षों से खराब और संदेहास्पद ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं कर रहा है। क्योंकि यह महिलाओं को आनुषंगिक के बिना माइक्रो वित्त सहायता प्रदान कर रहा है। फिर भी राष्ट्रीय महिला कोष इसकी जोखिम निधि के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में चूक ऋण राशि की सीमा तक प्रावधान करता है। (जैसा नोट –2 में उपर्युक्त दर्शाया गया है)

7. राष्ट्रीय महिला कोष ने चूककर्त्ताओं की सूची तैयार कर ऋण की वसूली के लिए चूक करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध याचिकाएं दायर करना प्रारंभ कर दिया है तथा उन्हें कालीसूची में भी शामिल किया है।

8. लेखे में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कोष को अधिसूचना संख्या डी जी आई टी (ई)/ 10(23C) (IV) 2010 दिनांक 4 जनवरी 2011 अधिसूचना तिथि 9 अप्रैल 2010 तक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग आय–कर छूट महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा निर्धारण वर्ष 2006 – 2007 से आगे के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10(23C) (IV) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है।

9. कोष के विरुद्ध ऋण का कोई दावा नहीं है।

10. वर्ष 1997–98 के दौरान नाबार्ड ने राष्ट्रीय महिला कोष को उत्तर–पूर्व राज्यों में पहचान किए गए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के प्रोत्साहन, स्थिरीकरण और विकास के लिए ₹ 21.50 लाख स्वीकृत किए। स्वयं सहायता समूह विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न गैर सरकारी संगठन को स्वीकृति की प्रतिपूर्ति के रूप में नाबार्ड से ₹ 15 लाख रुपए की राशि प्राप्त की गई। (₹ 5.50 लाख 26–10–1999 और ₹ 9.50 लाख 21/9/2000) को नाबार्ड से राशि प्राप्त की गई।

11. राष्ट्रीय महिला कोष ने योजना के तहत काम सम्पूर्ण कर दिया है, लेकिन नाबार्ड ने ₹ 9.50 लाख रुपए के भुगतान के संबंध में कुछ खामियाँ बताई है। यद्यपि यह योजना समाप्त हो गई है, परंतु नाबार्ड ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि राष्ट्रीय महिला कोष ने राशि प्राप्त कर ली है, परंतु

नाबार्ड से पास कराने के अभाव में ₹ 9.50 लाख तुलन पत्र में ''चालू देयताएं एवं प्रावधान'' देनदारी में दिखाया गया है।

12 राजस्व व्यय से संबंधित अनुदान जब कभी प्राप्त होते हैं, उन्हें संबंधित खर्च से समायोजित कर दिया जाता है।

13. तुलन बही से बाद की घटना – शून्य

14. केवल कुछ प्रकटीकरण जो वित्तिय विवरणीयों के साथ अनुसूचियों तथा नोट में दिए गए हैं, वे आई सी ए आई के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं तथा अन्य कोई प्रकटीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

15. पिछले साल की संख्याऐं जहाँ भी जरूरी समझी गई है, दोबारा से क्रमबद्ध की गई है।

16. वर्ष 2002–03 से 2009–10 के दौरान एन0जी0ओ0 को दिये गये ऋण पर अर्जित आय,उपार्जित की बजाय प्राप्तियों के आधार पर ली गई है। इसी कारण से ₹ 7,18,57,095.79 (सूट फाईल्ड केस से संबंधित राशि को समायोजित करने के बाद) को गत वर्ष के आय–व्यय के खर्चो में आँका नहीं जा सका। अतः यह आय चालू वर्ष के दौरान तुलन–पत्र में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिश पर शामिल की गई है।

डी आर ए एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(राहुल जैन)
साझेदार सदस्यता सं0 099134

शासी बार्ड के वास्ते

कार्यपालक निदेशक

शासी बोर्ड के
प्राधिकृत सदस्य

स्थान :– नई दिल्ली
तारीख :–